



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास व ₹42,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 1097/2014 धारा- 302/34,307,120बी भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.इमामी उर्फ इमाम खां पुत्र मुन्ना खां 2.शानू उर्फ शान खां पुत्र इमामी उर्फ इमाम खां निवासीगण टीकापुर थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कठोर कारावास व ₹42,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक-  
एसओ जगदेव  
प्रसाद यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर  
का० जगत सिंह